



दूरभाष- 0522-286709, 286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०

नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

अतिमहात्वपूर्ण/समयबद्ध

दिनांक- 24/6/15

पत्रांक- 1212/241/NULM/तीन/2001(EST&P)

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर निगम,
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,
गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
3. अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत
लोनी (गाजियाबाद), मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा,
आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा (बुलन्दशहर), सम्भल,
चदौसी (सम्भल), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मुगलसराय (चन्दौली), बडौत (बागपत),
देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई,
हाथरस, उरई (जालौन), जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी,
मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर,
सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वा,
दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पडरौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ,
प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, राबटसगंज (सोनभद्र), अमेठी, ज्ञानपुर
(भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय : एन०यू०एल०एम० के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अन्तर्गत शहरवार इम्पैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को कार्यादेश जारी करने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अन्तर्गत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से शहरवार कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की इम्पैनलमेन्ट की सूचियां जारी की जा चुकी हैं। सूडा के पत्रांक सं०-883/241/एनयूएलएम/तीन/2001(ई०एस०टी०एण्ड पी०), दिनांक 08.06.2015 द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं।

दिनांक 08.06.2015 को जारी उक्त दिशानिर्देश के प्रस्तर-2 के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यों को आवंटित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशानिर्देश के प्रस्तर-2.1 के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित लक्ष्यों का विवरण लक्ष्य आवंटन के 3 दिन के अन्दर राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

उक्त दिशानिर्देशानुसार अभी तक कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को कार्यादेश का आवंटन नहीं किया गया है, इस कारण शहर स्तर पर प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। कौशल प्रशिक्षण प्रदातावार आवंटित लक्ष्यों का विवरण ट्रेडवार भारत सरकार के एम0आई0एस0 पर अपलोड होने के पश्चात ही प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसकी समीक्षा एवं अनुश्रवण भारत सरकार द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग एवं बैठकों द्वारा निरन्तर की जाती है और मिशन उ0प्र0 सरकार के विकास एजेण्डा में भी सम्मिलित है। मिशन की महत्ता के दृष्टिगत कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को 3 दिनों में कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मेल एवं फैंक्स के माध्यम से अभिकरण मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराये और पत्र के साथ संलग्न समय सारिणी के अनुसार कौशल प्रशिक्षण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया जाये।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक


प्रतिलिपि :-

1. सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना अधिकारी / सहा0परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0।
4. वेब मास्टर, सूडा को ई-मेल से प्रेषण एवं सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार ई0एस0टी0एण्ड पी0 के अन्तर्गत शहरवार इम्पैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की कार्यवाही हेतु समय सारिणी

क्र. सं.	कार्य / कार्यवाही	निर्धारित अवधि / तिथि	अभ्युक्ति
1	कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को कार्यदेश (लक्ष्य आवंटन) जारी करना	5 दिवस / 30.06.2015	दिनांक 08.06.2015 द्वारा जारी निर्देश के प्रस्तर-2 एवं 2.1 के अनुसार।
2	कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ अनुबंध (एम0ओ0यू0) करना एवं अण्डरटेकिंग प्राप्त करना	2 दिवस / 02.07.2015	दिनांक 08.06.2015 द्वारा जारी निर्देश के प्रस्तर-3 एवं 3.1 के अनुसार।
3	निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक-1) पर प्रशिक्षण केन्द्रों का सत्यापन	3 दिवस / 06.07.2015	दिनांक 08.06.2015 द्वारा जारी निर्देश के संलग्नक-1 (प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं हेतु प्रपत्र) के अनुसार प्रस्तर-2 एवं 2.1 के अनुसार।
4	निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक-2) पर प्रशिक्षणार्थियों का बैचवार विवरण उपलब्ध कराना	3 दिवस / 09.07.2015	दिनांक 08.06.2015 द्वारा जारी निर्देश के संलग्नक-2 (प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं प्रशिक्षणार्थियों का विवरण पत्र) के अनुसार।
5	बैचवार प्रशिक्षणार्थियों का विवरण संबंधित शहर के एम0आई0एस0 पर प्रविष्टि	3 दिवस / 13.07.2015	दिनांक 08.06.2015 द्वारा जारी निर्देश के प्रस्तर-19 एवं 19.1 एवं 19.2 के अनुसार।
6	प्रशिक्षण कार्य का प्रारम्भ	2 दिवस / 15.07.2015	


PD